न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल ,जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : सुनिता मीणा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 11/2025 दायर तारीख : 27.01.2025

रामनारायण बनाम सुरजमल वगै0

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थित : – श्री रामसिंह अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी
श्री ललित कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी 1से 4

निर्णय प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :– 20/6/25

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रतिवादी सं0 1 से 4 ने प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादी के द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वंय के हक में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की घोषणा चाहने बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है एंव वादी ने प्रतिवादीगण के पिता मूलचन्द के द्वारा वादी के पक्ष में किये गये हकत्याग दिनांक 21.10.2009 को आधारित कर वाद प्रस्तुत किया है जो वाद सर्वथा गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने वादग्रस्त भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के पिता स्व0 मूलचन्द की खातेदारी में दर्ज है के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनांक 21.10.09 को ही प्रतिवादीगण के पिता ने वादी को मौके पर कब्जा सम्भला दिया था जो तथ्य सर्वथा गलत है क्यों कि कब्जा आज भी मूलचन्द के वारिसान की हैसियत से प्रतिवादीगण का है और राजस्व जमाबन्दी संवत 2069 दिनांकित 05.11.2013 से भी स्पष्ट है कि तत्समय से राजस्व रिकार्ड मूलचन्द के नाम बदस्तूर चला आ रहा है वर्ष 2018 तक के राजस्व रिकोर्ड में भी आपसी सहमति से खातेदारों मे हुआ है। उक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुए प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण की भूमि को हडप करने की नियत से गलत आधारों पर वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण फर्जी दस्तावेजों को आधारित कर तथाकथित दस्तावेज दिनांक 21.10.2009 के लगभग 15 वर्षो बाद व प्रतिवादीगण के पिता मूलचन्द कि मृत्यु दिनांक 13.02.2024 के लगभग 1.5 वर्ष बाद वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने वाद के मद नम्बर 3 में प्रतिवादीगण के पिता द्वारा नामान्तकरण खुलवाने का आश्वासन देने के तथ्य अंकित किये है जबकि वाद के मद नम्बर 5 की पंक्ति 8 में वादी द्वारा अंकन किया गया है। वादी को जानकारी हुई कि उक्त आराजीयात राजस्व में वादी के नाम दर्ज नहीं होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 , वादी को बेदखल करने पर आमदा है उक्त दोनो तथ्य आपस में विरोधाभाषी है। वादी ने मात्र प्रतिवादीगण की भूमि को हडप करने कि नियत से गलत आधारों पर वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। बल्कि कब्जा लगातार पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

प्रतिवादीगण के पिता का चला आ रहा था वर्तमान में प्रतिवादीगण काविज है एंव वादी द्वारा दिनांक 16.01.2025 का जो वाद कारण अंकित किया है वह गलत तथ्यों पर आधारित होने से वादकारण के अभाव में व कब्जे के अभाव में विधिक वारिसानों के विपरित वादी का वाद पेश होने से खारिज किये जाने योग्य है।

3. जिसमें नकल प्रा0 पत्र वादीगण अधिवक्ता को दिलावायी गई। अप्रार्थी/वादीगण अधिवक्ता को उक्त प्रा.पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस की तथा बहस में अपने वाद पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कि उनवानी वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा उनवानी वाद में अंकित तथ्य सही व सत्य है। जिसके अनुसार वाद कारण उत्पन्न होता है तथा उनवानी वाद विधि द्वारा बाधित नहीं है। इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4. उभय पक्षकारन की बहस को सुना गया है। पक्षकारान अधिवक्ताओं ने अपने जवाब व प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज पेश किय है।

5. बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है। हस्तगत वाद वादी के द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वंय के हक में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की घोषणा चाहने बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है वादी ने प्रतिवादीगण के पिता मूलचन्द के द्वारा वादी के पक्ष में किये गये हकत्याग दिनांक 21.10.2009 को आधारित कर वाद प्रस्तुत किया है वादी ने वादग्रस्त भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के पिता स्व0 मूलचन्द की खातेदारी में दर्ज है के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनांक 21.10.09 को ही प्रतिवादीगण के पिता ने वादी को मौके पर कब्जा सम्भला दिया था क्यों कि कब्जा आज भी मूलचन्द के वारिसान की हैसियत से प्रतिवादीगण का है और राजस्व जमाबन्दी संवत 2069 दिनांकित 05.11.2013 से भी स्पष्ट है कि तत्समय से राजस्व रिकार्ड मूलचन्द के नाम बदस्तूर चला आ रहा है वर्ष 2018 तक के राजस्व रिकोर्ड में भी आपसी सहमति से खातेदारों मे हुआ है। उक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुए प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण की भूमि को हडप करने की नियत से गलत आधारों पर वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण फर्जी दस्तावेजों को आधारित कर तथाकथित दस्तावेज दिनांक 21.10.2009 के लगभग 15 वर्षो बाद व प्रतिवादीगण के पिता मूलचन्द कि मृत्यु दिनांक 13.02.2024 के लगभग 1.5 वर्ष बाद वाद पेश किया है वादी ने वाद के मद नम्बर 3 में प्रतिवादीगण के पिता द्वारा नामान्तकरण खुलवाने का आश्वासन देने के तथ्य अंकित किये है जबकि वाद के मद नम्बर 5 की पंक्ति 8 में वादी द्वारा अंकन किया गया है । वादी को जानकारी हुई कि उक्त आराजीयात राजस्व में वादी के नाम दर्ज नहीं होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 , वादी को बेदखल करने पर आमदा है उक्त दोनो तथ्य आपस में विरोधाभाषी है। वादी ने अभाव प्रतिवादीगण की भूमि को हडप करने कि नियत से गलत आधारों पर वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कभी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (रेनवाल)

कब्जा नहीं रहा है। बल्कि कब्जा लगातार पूर्व में प्रतिवादीगण के पिता का चला आ रहा था वर्तमान में प्रतिवादीगण काबिज है एंव वादी द्वारा दिनांक 16.01.2025 का जो वाद कारण अंकित किया है वह गलत तथ्यों पर आधारित होने से वादकारण के अभाव में व कब्जे के अभाव में विधिक वारिसानों के विपरित वादी का वाद पेश होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद वादकारण के अभाव व विधि के विरूद्व होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 से 4 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पोषणीय व साबित होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 20/6/25 को सुनाया गया।

(सुनिता मीणा) आर0ए0स0
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रनवाल
सत्यमेव जयते